



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

550]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 1996/आश्विन 8, 1918
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 1996/ASVINA 8, 1918

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1996

क्र. आ. 679 (अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके बावजूद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर तमिलनाडु राज्य के लिए पारिस्थितिकी-क्षति (निवारण और प्रतिकर का संदाय) प्राधिकरण गठित करता है ; अर्थात् :—

- (1)
(उच्च न्यायालय का एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा) —अध्यक्ष
- (2) सचिव, पर्यावरण विभाग तमिलनाडु सरकार, चेन्नई —सदस्य
- (3) सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली —सदस्य
- (4)
(सदस्य सचिव, कोई व्यक्ति जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा) —सदस्य

2. प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा ; अर्थात् :—

- (i) उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करना और उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) और (xii) में निर्दिष्ट मामलों की बाबत अध्यापय करने के लिए निदेश जारी करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करना ;
- (ii) प्रभावित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी और पर्यावरण को हुई क्षति का निर्धारण करना और ऐसे व्यष्टिकों और कुटुम्बों को, जो प्रदूषण के कारण प्रस्त हुए हैं, पहचान करना तथा उक्त व्यष्टिकों और कुटुम्बों को संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर का निर्धारण करना ;
- (iii) प्रदूषण कर्ताओं से पर्यावरण को हुई हानि को बहाली को लागत के रूप में वसूल किए जाने वाले प्रतिकर का अवधारण करना ;
- (iv) ऊपर (i) से (iv) तक के अधीन की जाने वाली कार्यवाई के लिए प्रक्रिया अधिकथित करना ;
- (v) उपरोक्त दो शर्तों के अधीन अर्थात् पारिस्थितिकी को बहाली और व्यष्टिकों को किए जाने वाले प्रतिकर के संदाय की संगणना करना ;
- (vi) प्रदूषणकर्ता के विरुद्ध अधिनियमित प्रतिकर का संदाय करने से बचने या इंकार करने की दशा में प्रदूषणकर्ता के स्वाभिमताधीन या प्रबंधाधीन किसी उद्योग या उद्योगों के किसी वर्ग को बंद करने का निदेश देना । यह प्रदूषणकर्ता से भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाने वाली वसूली के अतिरिक्त होगा ।

SECRET

F.No. Z-20018/4/2002-CPA

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

राज्य में प्रदूषण द्वारा परिस्थितिकी और पर्यावरण को हुए नुकसान की बहाली के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ईजीनियरी अनुसंधान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि जैसे विशेषज्ञ निकायों के परामर्श से स्कीम या एकीय योजनाएँ बनाना। ये स्कीमों केन्द्रीय सरकार के अधीन राज्य सरकार द्वारा निष्पादित की जाएंगी। इस पर होने वाला व्यय "पर्यावरण संरक्षण विधि" और अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत से पूरा किया जाएगा।

सभी उद्योगों से संबंधित मामलों का सुनने का काम या प्रतिनिधि क्षेत्र में रहते से प्रभावित है और ऐसे उद्योगों में से किसी को सुनाने का निर्देश देना।

इस अधिनियमों की त्प्राची रूप से बंधनकारक या उनके लिए अनुसंधान पर निर्देश दिए जायेंगे। सभी उद्योगों को सुनने का काम निम्नलिखित है तथा जिनको तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विधिनाम्य निकायों में नहीं है।

- (i) मद्रास उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का अनुपालन करना।
- (ii) तमिलनाडु राज्य से संबंधित अन्य सुसंगत पर्यावरण मुद्दों की बाबत जिनमें केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए मुद्दे भी हैं, कार्रवाई करना।

3. ऊपर पैरा 2 में यथापरिभाषित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण एक विवरण तैयार करेगा जिसमें प्रदूषणकर्ताओं से वसूल की रकम दर्शित करते हुए, उन प्रदूषणकर्ताओं के नामों का उल्लेख होगा जिनसे रकम वसूल की जानी है, प्रत्येक प्रदूषणकर्ता वसूल की जाने वाली रकम, प्रदूषणकर्ता के नाम जिन्हें प्रतिकर का संदाय किया जाना है तथा प्रत्येक को संदेय रकम का उल्लेख होगा। यह विवरण सम्बद्ध क्षेत्र के कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट को अप्रेषित किया जाएगा। यह विवरण सम्बद्ध क्षेत्र के कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेटों को अप्रेषित किया जाएगा जो प्रदूषणकर्ताओं से, यदि आवश्यक हो तो धूल-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करेगा और वे प्राधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर को प्रभावित व्यक्तियों/कुटुम्बों में वितरित करेगा।

4. प्राधिकरण अपने क्रियाकलापों के बारे में कम से कम दो मास में एक बार प्रगति रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

5. प्राधिकरण का अपना मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में होगा।

6. अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाएं।

[फा. सं. वयू. 17012/63/91-सी. पी. डब्ल्यू.]

विश्वनाथ आनंद, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 1996

S.O. 671(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) hereinafter referred to as the said Act, the Central Government hereby constitutes the Loss of Ecology (Prevention and Payments of Compensation) Authority for the State of Tamil Nadu consisting of the following members for a period of two years on and from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

- | | |
|---|-------------------|
| (1) _____
(A retired Judge of the High Court to be appointed by the Central Government). | —Chairperson |
| (2) The Secretary, Government of Tamil Nadu
Department of Environment, Chennai | —Member |
| (3) The Member Secretary,
Central Pollution Control Board
Delhi. | —Member |
| (4) _____
(a person to be appointed by the Central Government) | —Member-Secretary |

2. The Authority shall exercise the following powers and perform the following functions, namely :—

- (i) exercise of powers under section 5 of the said Act, for issuing directions and for taking measures with respect to matters referred to in Clauses (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) and (xii) of sub-section 2 of section 3 of the said Act ;
- (ii) to assess the loss to the ecology and environment in the affected areas and also identify the individuals and families who have suffered because of the pollution and assess the compensation to be paid to the said individuals and families ;
- (iii) to determine the compensation to be recovered from the polluters as cost of reversing the damaged environment ;

SECRET

to lay down the procedure for actions to be taken under (i) to (iii) above;

to compute the compensation under two heads, namely, for reversing the ecology and for payment to individuals ;

to direct the closure of any industry or class of industries owned or managed by a polluter in case of evasion or refusal to pay the compensation awarded against the polluter. This shall be in addition to the recovery from the polluter as arrears of land revenue ;

(ii) to frame scheme or schemes for reversing the damage caused to the ecology and environment by pollution in the State of Tamil Nadu in consultation with expert bodies like National Environmental Engineering Research Institute, Central Pollution Control Board, etc. These schemes shall be executed by the State Government of Tamil Nadu under the supervision of the Central Government. The expenditure shall be met from the "Environment Protection Fund" and from other sources provided by the state Government and the Central Government ;

(viii) to review the cases of all the industries which are already operating in the prohibited area and direct the relocation of any of such industries ;

(ix) to close the tanneries permanently or direct their relocation, which have not provided adequate treatment facilities and not having valid certificate from the Tamil Nadu State Pollution Control Board ;

(x) to comply with the orders issued by the Madras High Court and the Supreme Court from time to time ;

(xi) to deal with any other relevant environment issues pertaining to the State of Tamil Nadu, including those which may be referred to it by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.

3. In exercise of its powers as defined in paragraph 2 above, the Authority shall prepare a statement showing the total amount to be recovered from the polluters mentioning therein the names of the polluters from whom the amount is to be recovered, the amount to be recovered from each polluter, the persons to whom the compensation is to be paid and the amount to each of them. The statement shall be forwarded to the Collector/District Magistrates of the area concerned who shall recover the amount from the polluters, if necessary, as arrears of land revenue and shall disburse the compensation awarded by the Authority to the affected persons and families.

4. The Authority shall furnish a progress report about its activities atleast once in two months to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.

5. The Authority shall have its Headquarters at Chennai, Tamil Nadu.

6. The terms and conditions of appointment of the Chairperson and Members shall be as determined by the Central Government from time to time.

[File No. O. 17012/63/91-CPW]

VISHWANATH ANAND, Addl. Secy.